भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2964
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

लक्षद्वीप में चावल गोदाम

2964. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में स्थित चावल गोदामों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों में हो रही अत्यधिक देरी की जानकारी है;
(ख) यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं और आवश्यक खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने हेतु इन गोदामों के रखरखाव संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार का द्वीपों में दिव्यांग व्यक्तियों और बिस्तर पर पड़े रोगियों के लिए राशन वस्तुओं की घर-घर डिलीवरी शुरू करने या उसे सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;
(घ) यदि हाँ, तो योजना के कार्यान्वयन तंत्र, वित्त पोषण सहायता और निगरानी ढांचे सहित ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार लक्षद्वीप में गोदामों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने और कमजोर लाभार्थियों को प्राथमिकता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) एवं (ख): भारतीय खाद्य निगम के पास लक्षद्वीप द्वीपसमूह के एंड्रोथ द्वीप पर 2,500 टन (1,250 टन की दो इकाइयाँ) की कुल भंडारण क्षमता वाला एक डिपो है। आवश्यकतानुसार नियमित रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

...2/-

वर्तमान में, आवश्यकतानुसार एसी छत की चादरों को पूर्व-लेपित गैल्वेल्यूम प्रोफाइल चादरों से बदलने, क्षतिग्रस्त ट्रस मेम्बर्स की मरम्मत करने और गोदाम तथा सहायक संरचनाओं की रंगाई का कार्य किया जा रहा है।

खारेपन की कठोर परिस्थितियों के कारण, एक विशेष एल्युमीनियम मिश्र धातु प्रोफाइल चादर (आईएस 31500 टेम्पर एचx8 जो आईएस 737 के अनुरूप है) लगाने की योजना बनाई गई है। तथापि, अपेक्षित सामग्री की अनुपलब्धता, मौसम की वजह से परिवहन के लिए समुद्री मार्गों की अनुपलब्धता और द्वीप में मजदूरों की कमी के कारण छत की चादर बदलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया गया है और इसके 15 जनवरी 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार प्रचालित होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीडीएस का प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। विनिर्दिष्ट डिपो से खाद्यान्न की उठान करना, राज्य के भीतर परिवहन एवं प्रबंधन, अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी, लाभार्थियों की पहचान, उनके राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करने संबंधी सभी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती हैं। लाभार्थियों के घर तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी इस अधिनियम के दायरे से बाहर है।

वर्तमान में, दिव्यांग व्यक्तियों और बिस्तर पर पड़े मरीजों के लिए घर-घर अनाज पहुंचाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ.): सभी मरम्मत कार्यों के प्रगति की समय-समय पर निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे हो जाएं।

*****